भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2466
सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

पीठासीन अधिकारी के रिक्त पड़े पद को भरने में विलंब

†2466. श्री एम. के. राघवन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, एर्नाकुलम में अगस्त 2022 से पीठासीन अधिकारी के रिक्त पड़े पद को भरने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केरल और लक्षद्वीप में उक्त रिक्त पद के कारण श्रम क्षेत्र के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, एर्नाकुलम में लंबित मामलों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। हालांकि, केरल और लक्षद्वीप में रिक्त पद के कारण श्रम क्षेत्र को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, चेन्नई के पीओ को केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, एर्णाकुलम के पीठासीन अधिकारी (पीओ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दिनांक 30.11.2025 तक, केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, एर्णाकुलम में कुल 1135 मामले लंबित हैं।

*****